

केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर एतराज क्यों- सुशील मोदी

पटना 08.04.2019

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों को केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस को भ्रष्टाचारियों के संरक्षण का संविधान प्रदत्त कोई अधिकार है? अगर ऐसा नहीं तो, आयकर की कार्रवाई का मध्य प्रदेश की पुलिस को विरोध करने का निर्देश किसने दिया? क्या अब कांग्रेस यह घोषणा करने वाली है कि अगर उसकी सरकार बनी तो देश के सभी भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों को दोषमुक्त कर लूट की खुली छूट दे देगी?

सारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई द्वारा कोलकाता के पुलिस आयुक्त से पूछताछ के खिलाफ प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना पर बैठना, भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ आयकर की छापेमारी के विरोध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का आयकर कार्यालय के सामने धरना देना, दिल्ली के मुख्य सचिव से पूछताछ के खिलाफ उपराज्यपाल के घर के सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना देना क्या साबित करता है?

आखिर कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि को सीबीआई के राज्य में प्रवेश और कार्रवाई पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस और गैर भाजपाई विपक्षी दलों ने यह तय कर लिया है कि भ्रष्टाचार और घोटाले के चाहे कितने भी संगीन मामले हो, उनके राज्यों में किसी राजनेता, कारोबारी, बिचौलिए आदि के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी?

क्या इस तरह से लोकतंत्र और संधीय ढांचे को बचाया जा सकता है? क्या भाजपा के विरोध के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के विरोध की इस प्रवृत्ति से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जायेगी?